All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

APPROVAL PROCESS 2020-21

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7002324984/2020/EOA

Date: 30-Apr-2020

To,

The Secretary(Technical Education)
Govt. of Uttarakhand,Dehradun Sectt.,
4 Subhash Road, Dehradun-248001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-8667860	**Application Id**	1-7002324984
Name of the Institute	AMRAPALI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES	**Name of the Society/Trust**	MODERN ACADEMY
Institute Address	SIKSHA NAGAR, LAMACHAUR, HALDWANI, NAINITAL, Uttarakhand, 263139	**Society/Trust Address**	SIKRI KALAN,DELHI MEERUT HIGHWAY,MODINAGAR,GHAZIABAD,,201204
Institute Type	Private-Self Financing	**Region**	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	No

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	30	30	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	30	30	NA	No
MCA	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	No
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21

2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.

3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

10

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A4-85(P-II) /2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 19 जुलाई, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1033, दिनांक 29–05–2019 एवं पत्रांक–1031, दिनांक 29–05–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, शिक्षानगर, हल्द्वानी** को बी0टैक0, एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति जी की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को बी0टैक0(Computer Science & Engg., Electrical & Electronics Engg., Electronics & Communication Engg. & Mechanical Engg.), एम0बी0ए0 तथा एम0सी0ए0 (क्रमशः 60, 30, 30, 30, 60, व 30 सीट) पाठ्यक्रमों में **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अन्तिम निर्णय लेते हुए तद्नुसार अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाय व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 1414 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-85(P-II)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।

Speed. Post S. No - 8 dated 10.00

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पताः सुनेहरा रोड (निकट–के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी –247 667
दूरभाष : 01332–266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक/प्रधानाचार्य,
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस,
लामाचौढ़, हल्द्वानी।

संस्था कोड – 103

पत्र संख्या : 170–319/उ.प्रा.शि.प./ए.आई.सी.टी.ई./सम्ब./2020–21 दिनांक 30–06–2020

विषयः– डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं0 FNo. Northern /1-7002324984/2020/EOA दिनांक 30 अप्रैल 2020 के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2020–21 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Electrical engineering	Diploma	30	1st	03 years	2020-21
Mechanical engineering	Diploma	30	1st	03 years	2020-21

शर्तें :–

1. स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्व पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
3. शासनादेश संख्या : 239/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक : 02 मई 2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के बचाव हेतु संस्थानों को साफ–सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxylenol or parachlorometaxylenol (PCMX) का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों/मेजों, पूछताछ/कैश काउण्टर्स दीवारों/सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वाटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप किया जाए।
4. प्रत्येक दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा संस्थानों के फर्श, गलियारे तथा दो बार शौचालयों, सिंक आदि को सेनेटाइज किया जाए।
5. पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए। टैंक में रूके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाए।

6. सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर hand sanitizer/hand wash की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्थान में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। शौचालयों में लिक्विड सोप, टिश्यु पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की–बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात् अपने हाथों को भलि–भांति sanitize करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।
7. संस्थानों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ–सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ–सफाई कर रख–रखाव किया जाये। किसी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये।
8. प्रत्येक परिसर/संस्थान, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। भीड़–भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. संस्थानों में मुख्य प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
11. संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
13. सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे– Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
14. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
15. संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
16. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की बेवसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
18. प्रत्येक संस्थान् को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान् के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
19. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान् को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
20. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
21. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्दि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगें।
23. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
24. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
25. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आंवटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
26. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स–2020 के अन्तर्गत आयोजित कांउसिलिंग के माध्यम से आंवटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
27. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
28. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
29. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009–03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एंव 600/XXIV(8)/2010–51 /2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रू0 45000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमितः फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्वता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।

(हरि सिंह)
सचिव

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

APPROVAL PROCESS 2020-21

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7013494096/2020/EOA

Date: 30-Apr-2020

To,

The Secretary(Technical Education)
Govt. of Uttarakhand,Dehradun Sectt.,
4 Subhash Road, Dehradun-248001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-8083811	**Application Id**	1-7013494096
Name of the Institute	AMRAPALI INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT	**Name of the Society/Trust**	MODERN SOCIETY
Institute Address	SKIKSHA NAGAR, LAMACHAUR, HALDWANI,NAINITAL UTTARAKHAND 263139, HALDWANI, NAINITAL, Uttarakhand, 263139	**Society/Trust Address**	SIKRI KALAN,DELHI MEERUT ROAD,MODINAGAR,GHAZIABAD,, 201204
Institute Type	Private-Self Financing	**Region**	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
HOTEL MANAGEMENT AND CATERING	UNDER GRADUATE	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	No
HOTEL MANAGEMENT AND CATERING	DIPLOMA	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21

2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.

3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttarakhand**

2. **The Registrar**,**
Uttarakhand Technical University, Dehradun

3. **The Principal / Director,**
AMRAPALI INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
Skiksha Nagar,
Lamachaur,
Haldwani,Nainital
Uttarakhand
263139,
Haldwani,Nainital,
Uttarakhand,263139

4. **The Secretary / Chairman,**
SIKRI KALAN,DELHI MEERUT ROAD
MODINAGAR,GHAZIABAD
,201204

5. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

कार्यालय पताः चकराता रोड, पो0ओ0–चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड–248007,
दूरभाष सं0–0135–2774067, 068, 069, वेबसाइटः www.uktech.ac.in

पत्रांकः 791 /मान्यता/2020 दिनांकः 12.10.2020

सेवा में,
निदेशक,
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट,
शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी।

विषयः–विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट, शिक्षानगर, हल्द्वानी नामक संस्थान को बी0एच0एम0सी0टी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया दिनांक 26 मार्च, 2019 को राजभवन, उत्तराखण्ड में मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि शैक्षिक सत्र 2018–19 व इससे पूर्व के लम्बित अस्थाई सम्बद्धता प्रकरणों के सम्बद्धता प्रस्ताव जो राजभवन सचिवालय को प्रेषित किए गये व जिन पर अभी तक सम्बद्धता के पूर्वानुमोदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उन सभी संस्थानों को निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के आधार पर, परिलक्षित त्रुटियों/विसंगतियों का निस्तारण कराते हुये विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाए।

महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति महोदया के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24–(2) के अनुसार कार्यपरिषद को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त सम्बद्धता प्रकरणों के अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रमों का नाम	शैक्षिक सत्र 2018–19 तक प्रवेश क्षमता (सीट)	शैक्षिक सत्र
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी	BHMCT	60	शैक्षिक सत्र 2018–19

1. संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के साथ–साथ संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में संस्थान की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।
4. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्थान/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः 2

6. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉप यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
8. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
9. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाईट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकॉपी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाईट के सम्बन्ध सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी।
12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के ए0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीया,

(डॉ0 यूसरा अहमद)
सहायक कुलसचिव

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय
देहरादून

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति महोदया, राजभवन उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 कुलपति को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 यूसरा अहमद)
सहायक कुलसचिव

Speed post S-00-03 dated 18.09.20

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट—के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी —247 667
दूरभाष : 01332—266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य, संस्था कोड — 031
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट,
लामाचौढ़, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्र संख्या : 170—319 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2020—21 दिनांक 30—06—2020

विषयः— **डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं0 FNo. Northern /1-7013494096/2020/EOA दिनांक 30 अप्रैल 2020 के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा सत्र 2020—21 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान क़ी जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Hotel management and catering Technology	Diploma	60	1st	03 years	2020-21

शर्तें :—

1. स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
3. शासनादेश संख्या : 239 / XXXi(15)G-04(सा0)/2020 सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक : 02 मई 2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड—19) संक्रमण के बचाव हेतु संस्थानों को साफ—सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxylenol or parachlorometaxylenol (PCMX) का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों / भेजों, पूछताछ / कैश काउण्टर्स दीवारों / सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वाटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप किया जाए।
4. प्रत्येक दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा संस्थानों के फर्श, गलियारे तथा दो बार शौचालयों, सिंक आदि को सेनेटाइज किया जाए।
5. पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए। टैंक में रूके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाए।

CPDOH
for n/a Ro.

6. सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर hand sanitizer/hand wash की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्थान में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। शौचालयों में लिक्विड सोप, टिश्यु पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की–बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात् अपने हाथों को भलि–भांति sanitize करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।
7. संस्थानों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ–सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ–सफाई कर रख–रखाव किया जाये। किसी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये।
8. प्रत्येक परिसर/संस्थान, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। भीड़–भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. संस्थानों में मुख्य प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
11. संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
13. सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे– Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
14. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
15. संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
16. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की बेवसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
18. प्रत्येक संस्थान् को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान् के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
19. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान् को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
20. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
21. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्वि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगें।
23. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
24. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
25. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आंवटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
26. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स–2020 के अन्तर्गत आयोजित कांउसिलिंग के माध्यम से आंवटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
27. उत्तराखण्ड शासन / निदेशालय / परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
28. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
29. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009–03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एंव 600/XXIV(8)/2010–51 /2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रू0 45000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमितः फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्वता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।

(हरि सिंह)
सचिव

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

APPROVAL PROCESS 2020-21

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7485673990/2020/EOA Date: 30-Apr-2020

To,

The Secretary(Technical Education)
Govt. of Uttarakhand,Dehradun Sectt.,
4 Subhash Road, Dehradun-248001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4403213331	**Application Id**	1-7485673990
Name of the Institute	AMRAPALI INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES	**Name of the Society/Trust**	MODERN ACADEMY SOCIETY
Institute Address	SHIKSHA NAGAR, LAMACHAUR, HALDWANI, NAINITAL, Uttarakhand, 263139	**Society/Trust Address**	SIKRI KALAN , DELHI MEERUT ROAD,MODINAGAR-201204,DISTT-GHAZIABAD,MODINAGAR,GHAZIABAD,,201204
Institute Type	Private-Self Financing	**Region**	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
PHARMACY	UNDER GRADUATE	PHARMACY	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	No
PHARMACY	DIPLOMA	PHARMACY	Uttrakhand Board of Technical Education	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21

2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.

3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttarakhand**

2. **The Registrar**,**
Uttarakhand Technical University, Dehradun

3. **The Principal / Director,**
AMRAPALI INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES
Shiksha Nagar, Lamachaur,
Haldwani,Nainital,
Uttarakhand,263139

4. **The Secretary / Chairman,**
SIKRI KALAN , DELHI MEERUT ROAD,MODINAGAR-201204,DISTT- GHAZIABAD
MODINAGAR,GHAZIABAD
,201204

5. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

Complete Details not filled in **Placement Details** tab for which Institution was approved from 2012-13 onwards. Kindly submit the details and try to print the Extension of Approval letter again.

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

E-mail : registrar@pci.nic.in
Website : www.pci.nic.in
Contact : 011-61299900/01/02/03

NBCC Centre, 3rd Floor Plot No.2, Community Centre
Maa Anandamai Marg Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID :Amrapali Institute Of Pharmacy And Sciences/PCI-3382
State :UTTARAKHAND
District :NAINITAL
Sub-District :Haldwani
Village/Town/City :LAMACHAUR
Pin Code :263139

Sir / Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation	Decision	Approval Status
B.Pharm	The Controller of Examination UttarakhandTechnicalUniversity Govt Girls Polytechnic Premnagar Sudhowala Dehradun	Approval for conduct of 2nd year course for 2020 2021 for 60 intake Allow 60 admission in 2020-2021 in 1st year	Approved
D.Pharm	The Secretary Uttarakhand Board of Technical Education Civil Lines Opp Shiv Mandir Roorkee Distt Haridwar	Approval for conduct of 2nd year course for 2020 2021 for 60 intake Allow 60 admission in 2020-2021 in 1st year	Approved

Date :10th April 2020

For Archna Mudgal
Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to:

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A4-173/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1584, दिनांक 19–08–2019 एवं पत्रांक–1585, दिनांक 19–08–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **"आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड साइंसेज, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी"** को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, यू0टी0यू0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों की सत्र 2019–20 के नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु** मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों/नियामक संस्थान के मानकों को पूर्ण करने की दशा में कार्यपरिषद अन्तिम निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय स्तर से नवीन अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019–20 हेतु आदेश जारी करेगी व सम्बद्धता आदेश के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4– तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–2108(1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-173/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।

Speed Post S-2010-03 dated 18.08.20

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पताः सुनेहरा रोड (निकट–के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी –247 667
दूरभाष : 01332–266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,
आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड साइंस,
हल्द्वानी।

संस्था कोड – 149

पत्र संख्या : 170–319 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2020–21 दिनांक 30–06–2020

विषयः– डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्वता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /1-7485673990/2020/EOA दिनांक 30 अप्रैल 2020 एवं पी0सी0आई0 नई दिल्ली की दिनांक : 8 एवं 9 अप्रैल 2020 को Central Committee की 109 वीं बैठक के Item No.UK-44/2020-2021(Feb.2020) के निर्णय के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा सत्र 2020–21 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Pharmacy	Diploma	60	1st	02 years	2020-21

शर्ते :–

1. स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्व पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
3. शासनादेश संख्या : 239 / XXXi(15)G-04(सा0)/2020 सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक : 02 मई 2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के बचाव हेतु संस्थानों को साफ–सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxylenol or parachlorometaxylenol (PCMX) का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों / मेजों, पूछताछ / कैश काउण्टर्स दीवारों / सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वाटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप किया जाए।
4. प्रत्येक दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा संस्थानों के फर्श, गलियारे तथा दो बार शौचालयों, सिंक आदि को सेनेटाइज किया जाए।
5. पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए। टैंक में रूके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाए।

6. सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर hand sanitizer/hand wash की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्थान में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। शौचालयों में लिक्विड सोप, टिश्यु पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की–बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात् अपने हाथों को भलि–भांति sanitize करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।
7. संस्थानों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ–सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ–सफाई कर रख–रखाव किया जाये। किसी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये।
8. प्रत्येक परिसर/संस्थान, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। भीड़–भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. संस्थानों में मुख्य प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
11. संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
13. सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन–पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे– Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
14. कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
15. संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
16. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की बेवसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
18. प्रत्येक संस्थान् को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान् के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
19. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान् को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
20. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
21. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगें।
23. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
24. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
25. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आंवटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
26. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स–2020 के अन्तर्गत आयोजित कांउसिलिंग के माध्यम से आंवटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
27. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
28. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
29. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009–03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एंव 600/XXIV(8)/2010–51 /2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रू0 45000/– प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमितः फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्वता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. The Registrar – cum- Secretary, Pharmacy of Council of India, Combined Councils Building, Temple Lane, Kotla Road, Aiwan-E-Ghalib Marg, Post Box No-7020, New Delhi-110002
3. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।

(हरि सिंह)
सचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांकः केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2019-20/964 दिनांकः 26/XI/2019

सेवा में,

प्राचार्य,
आम्रपाली इन्स्टीट्यूट
ऑफ एप्लाइड साइन्सेज,
लामाचौड़, हल्द्वानी।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांकः 4546/जी0एस0/शिक्षा/A3-36(1)/2018 दिनांक 01 मार्च, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.2019 के मद संख्या-14 में लिए गये निर्णयानुसार संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ 05 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रम0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिणक सत्र
1	2	3	4	5
1.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, लामाचौड़, हल्द्वानी।	बी0बी0ए0	120 सीट	2019-20 (अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण)

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन/ विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्व जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस मे अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

11. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय को प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना होगा, निर्धारित समय तक प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. संस्थान को सम्बद्धता इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि वे अपने संस्थान में स्वच्छता अभियान, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

ह0/
कुलपति

पृ0सं0: केयू/मान्यता/2019–20/964 तद्दिनांक 26/XI/2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून.।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

25/11/2019

उप–कुलसचिव
मान्यता

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांकः केयू / मान्यता / सम्बद्धता / 2019–20 / 1220 दिनांकः 31/12/2019

सेवा में,

प्राचार्य,
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज,
हल्द्वानी, नैनीताल।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांकः 1832 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-36(2)/2019 दिनांक 14 अगस्त, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की विशेष बैठक दिनांक 06.12.2019 के मद संख्या–02 में लिए गये निर्णयानुसार संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ 05 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क्रम0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिणक सत्र
1	2	3	4	5
1.	आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, हल्द्वानी, नैनीताल।	बी0सी0ए0	120 सीट	2019–20 (अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण)

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस मे अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 छात्र / छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
11. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय को प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना होगा, निर्धारित समय तक प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
12. संस्थान को सम्बद्धता इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि वे अपने संस्थान में स्वच्छता अभियान, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

ह0 /
कुलपति

पृ0सं0: केयू / मान्यता / 2019–20 / 1220 तद्दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून,।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

पत्रांकः केयू/मान्यता/2019/1128 दिनांकः 31/12/2019

सेवा में,

प्राचार्य,
आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स,
शिक्षा नगर, लामाचौड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।

महोदय,

मा0 कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक पत्रांक–296/जी0एस0/शिक्षा/A4-135-11/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में एक बार समाधान के आधार (One Time Solution) पर दिये गये पूर्वानुमोदन एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 142वीं विशेष बैठक दिनांक 06.12.2019 के मद सं0 02 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके सम्मुख अंकित सत्रों की नवीन/अस्थाई सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त सम्बद्धता एक वार समाधान के आधार पर प्रदान की गयी है इसको भविष्य हेतु दृष्टान्त न समझा जाए एवं आगामी सत्रों की सम्बद्धता हेतु अपने स्तर की समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:

क्रम0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1.	बी0 सी0 ए0 (120 सीट)	सत्र 2011–12 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
2.	बी0 बी0 ए0 (120 सीट)	सत्र 2017–18 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
3.	बी0 कॉम (आनर्स) (60 सीट)	सत्र 2017–18 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
4.	बी0 एच0 एम0 (180 सीट)	सत्र 2015–16 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
5.	बी0 एड0 (100 सीट)	सत्र 2015–17 से 2017–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

Put to Management Board
for n.a. Pl.
31/01/2020

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओ तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
11. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय को प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना होगा, निर्धारित समय तक प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
12. संस्थान को सम्बद्धता इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि वे अपने संस्थान में स्वच्छता अभियान, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

ह0/
कुलपति

पृ0सं0: केयू/मान्यता/2019–20/1128 तद्दिनांक: 31/12/2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून.।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांकः केयू / मान्यता / सम्बद्धता / 2019-20 / 1560

दिनांकः 03/06/2020

सेवा में,

प्राचार्य,
आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइन्सेज,
लामाचौड़, हल्द्वानी।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांकः 3865 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-50/2018 दिनांक 03 फरवरी, 2020 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2020 के मद संख्या-04 में लिए गये निर्णयानुसार संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ 05 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1.	आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, लामाचौड़, हल्द्वानी।	बी0एड0	100 सीट	2019-20 (अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण)

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैंम्पस मे अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

for n/p

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

11. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय को प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना होगा, निर्धारित समय तक प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. संस्थान को सम्बद्धता इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि वे अपने संस्थान में स्वच्छता अभियान, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

ह0/
कुलपति

पृ0सं0: कंयू/मान्यता/2019–20/1560 तददिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून,।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाडखेडा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

कुलसचिव